[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या 5–एच०एल०ए०

हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995, को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2023, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,– 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 2 का संशोधन।

   (i) खण्ड (ख) तथा (ग) का लोप कर दिया जाएगा; तथा

   (ii) खण्ड (घ) की मद (ii) का लोप कर दिया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 6 का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) तथा (2) का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 7 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8, 9, 10 तथा 11 का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 8, 9, 10 तथा 11 का लोप।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (1) तथा (2) का लोप कर दिया जाएगा। 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 16 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 17 का प्रतिस्थापन।

> "17. विद्यालय की निधियां.– (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय में, विद्यालय निधि के रूप में ज्ञात एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा :–

(क) फीस ;

(ख) कोई प्रभार तथा भुगतान, जो अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विद्यालय द्वारा वसूल किए जाएं; तथा

(ग) कोई अन्य अंशदान, विन्यास, उपहार तथा सदृश।

(2) (क) मान्यताप्राप्त विद्यालय द्वारा फीस के माध्यम से प्राप्त की गई आय, केवल शैक्षिक प्रयोजनों, जो विहित किए जाएं, हेतु उपयोग की जाएगी; तथा

(ख) विद्यालय द्वारा वसूले गए प्रभार तथा भुगतान तथा प्राप्त किए गए सभी अन्य अंशदान, विन्यास तथा उपहार, केवल विशिष्टि प्रयोजनों, जिनके लिए वे वसूले या प्राप्त किए गए हैं, हेतु उपयोग किए जाएंगे। अविनिर्दिष्ट उपहारों का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु भी उपयोग किया जाएगा।"।

(3) प्रत्येक मान्यताप्राप्त विद्यालय की प्रबन्धक समिति, प्रतिवर्ष सम्यक् रूप से संपरीक्षित वित्तीय तथा अन्य विवरणियां, जो विहित की जाएं, निदेशक को दायर करेगी तथा प्रत्येक ऐसी विवरणी की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जो विहित किया जाए।"।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 18 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (1) में, "सहायताप्राप्त" शब्द का लोप कर दिया जाएगा।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 21 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 21 की उप–धारा (4) के खण्ड (क) का लोप कर दिया जाएगा।

1999 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 24 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा (2) में,–

(i) खण्ड (ट) का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (त) में, "किसी सहायताप्राप्त विद्यालय द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "किसी विद्यालय द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2017—18 में सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्वीकृत पदों पर कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों में नियुक्त किया जा चुका है। ऐसे सहायता प्राप्त विद्यालयों में केवल कुछ कर्मचारी इन सहायता प्राप्त विद्यालयों में शेष रह गए है, जिन्होंने राजकीय विद्यालयों में कार्यग्रहण करने हेतु अपनी सहमति नहीं दी थी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग इन कर्मचारियों के वेतन के लिए 75 प्रतिशत की दर से सहायता दे रहा है। इन विद्यालयों में भी अस्वीकृत / गैर सहायता प्राप्त पदों पर कार्यरत कर्मचारी है और वे इस विभाग से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे है। ऐसे कई मामले न्यायालय में लम्बित है, यदि ये मामले कानून के न्यायालय में सफल हो जाते है तो राज्य राजकोष पर वित्तीय देनदारी बन सकती है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 1995 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था क्योंकि राज्य में आवश्यकता अनुसार राजकीय विद्यालयों की कमी थी और निवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार विभिन्न कानूनी प्रावधानों की अपेक्षानुसार राज्य में सभी भौगोलिक स्थानों को राजकीय विद्यालयों द्वारा कवर किया गया है। इसलिए, राज्य में सहायता प्राप्त विद्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं है।

कंवर पाल,
स्कूल शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 16 मार्च, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 से उद्धरण

2. (ख) "सहायता" का अर्थ सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या सरकार, निदेशक या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय को दी गई कोई सहायता है;

(ग) "सहायता प्राप्त विद्यालय" का अर्थ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है जो सरकार से अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रहा है;

(घ) (ii) मान्यता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त विद्यालय के अनुदान वितरण के मामले में, निदेशक द्वारा नामित प्राधिकारी;

6. (1) सरकार विद्यालयों को सहायता के तौर पर ऐसी धनराशि के वितरण हेतु निर्धारित प्राधिकारी को भुगतान कर सकती है, जो सरकार आवश्यक समझती है:

परन्तु यह अनुदान सहायता प्रणाली के तहत पहले से ही आने वाले विद्यालय इस तरह के अनुदान को प्राप्त करते रहेगें, परन्तु वे इस खण्ड के उप खण्डों (1) से (5) के तहत निर्दिष्ट शर्तो का पालन करे।

(2) सहायता प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन होने पर सहायता को रोक, कम या निलंबित कर सकता है।

(3) विद्यालय के खर्च के निर्दिष्ट हिस्से की भरपाई सहायता कर सकती है।

(4) विद्यालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं भविष्य निधि हेतु दी जानी वाली सहायता में से किसी अन्य प्रयोजन हेतु भुगतान नहीं किया जाएगा।

(5) कोई भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय सरकार या सरकार की किसी अन्य एजेंसी द्वारा निजी विद्यालय को उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सहायता या किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

7. (1) प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रबन्धन उपयुक्त प्राधिकारी को प्रति वर्ष, एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें विद्यालय की सम्पति की सूची के साथ साथ ऐसे विवरण होगे जो निर्दिष्ट होगें।

(2) उपयुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, किसी समय पर लागू किसी अन्य विधि में निहित होते हुए भी, किसी सहायता प्राप्त विद्यालय की किसी चल या अचल सम्पति का, कोई स्थानान्तरण, रहन या पट्टानामा नहीं किया जाएगा, जो नियमों में विनिर्दिष्ट सम्पति नहीं है,

परन्तुक उपयुक्त प्राधिकारी इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर इस तरह की अनुमति के लिए आवेदन का निपटान करने में विफल रहता है, तो नब्बें दिनों की अवधि की समाप्ति पर अनुमति प्रदान की गई मानी जाएगी।

8. (1) सरकार निम्नलिखित को विनियमित करने वाले नियम बना सकती है:–

(क) राज्य में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बरखास्तगी, निष्कासन, निलंबन, छुट्टी, आचरण और अनुशासन, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता और अन्य सम्बन्धित मामलो से सम्बन्धित सेवा नियमों की एक समान संहिता ;

(ख) कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक योग्यता; और

(ग) कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के लिए समान वेतनमान;

परन्तु सरकार किसी भी सहायता प्राप्त विद्यालय या किसी सहायता प्राप्त विद्यालय की कक्षा को इस खण्ड के प्रावधान के संचालन से ऐसी अवधि के लिए छूट दे सकती है जो वह आर्थिक क्षमता के आधार पर उचित समझे।

(2) इस सन्दर्भ में बनाए जाने वाले किसी भी नियमों के अधीन, किसी मान्यता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों के किसी भी कर्मचारी को निदेशक या उसके नांमाकित व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना न तो बर्खास्त किया जाएगा, न ही पद से हटाया जाएगा एवं न ही पद से अवनत और न ही उसकी सेवाओं को अन्यथा समाप्त किया जाएगा:

परन्तु यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां एक कर्मचारी को ऐसे आचरण के आधार पर बर्खास्त किया जाता, हटाया जाता है या पद से अवनत किया जाता है, जिसमें नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक आरोप में उसे सजा हुई हो।

(3) निजी सहायता प्राप्त विद्यालय का कोई भी कर्मचारी, जिसे बर्खास्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है या पद से अवनत किया गया, इस तरह के बर्खास्तगी, हटाने या पद से अवनत किए जाने के आदेश की सूचना की तारीख के तीन महीनें के भीतर, ऐसे आदेश के खिलाफ निदेशक को अपील कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनवाई के अवसर देने के बाद और इस तरह की जांच करने के बाद, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील को संशोधित करने या उलटने की पुष्टि करते हुए, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(4) सहायता प्राप्त विद्यालय का कोई भी कर्मचारी जिसे प्रबंध समिति द्वारा निलंबित किया गया हो, प्रबंध समिति उसके निलंबन के तीन माह के अन्दर जांच करेगी। तीन माह में जांच पूरी न होने की स्थिति में प्रबंध समिति समय विस्तार के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

9. किसी सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी निर्धारित आचार संहिता द्वारा शासित होगा और ऐसी निर्धारित आचार संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर, कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

10. (1) यदि निदेशक इस बात से सन्तुष्ट है कि प्रबंध समिति या प्रबन्धक किसी वित्तीय अनियमितता या प्रशासनिक कुप्रबंधन में शामिल है या इस अधिनियम या इसके तहत बनाये गए किसी नियम के द्वारा या उसके तहत उस पर लगाए गए अपने

किसी भी कर्तव्य को निभाने में उपेक्षा की है और वह विद्यालय शिक्षा के हित में यह समीचीन है कि ऐसे विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण अपने अधीन ले लिया जाए, तो वह ऐसे विद्यालय की प्रबंध समिति या प्रबंधक को प्रस्तावित कार्यवाही के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद ऐसे विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण अपने अधीन एक सीमित अवधि, दो वर्ष से अधिक नहीं ले सकता है:

परन्तु जहां किसी विद्यालय़ के प्रबंधन का अधिग्रहण दो साल या उससे कम अवधि के लिए लिया गया हो, निदेशक, अगर उनकी राय में वे उचित समझे एवं विद्यालय के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए यह समीचीन है कि इस तरह के प्रबंधन को उक्त सीमित अवधि की समाप्ति के बाद जारी रखा जाना चाहिए, तो वह समय–समय पर इस तरह के विद्यालय के प्रबंधन को जारी रखने के लिए, ऐसी अवधि के लिए निर्देश जारी कर सकता है, जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, हालांकि इस तरह के प्रबंधन अधिग्रहण के लिए कुल अवधि किसी भी मामले में तीन साल से अधिक नहीं होगी।

(2) जब भी किसी विद्यालय का प्रबंधन का अधिग्रहण उप धारा (1) के तहत किया जाता है, ऐसे स्कूल के प्रबंधन का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, उसके प्रबंधन के अधिग्रहण से ठीक पहले, इस सम्बन्ध में विद्यालय की सम्पति का कब्जा निदेशक या उसके अधिकृत प्राधिकारी को सौंप देगा।

(3) इस खण्ड के तहत किसी भी विद्यालय के प्रबंधन को संभालने के बाद, सरकार निदेशक द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति (बाद में "प्रशासक" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से विद्यालय का प्रबंधन करने की व्यवस्था कर सकती है।

(4) जहां किसी विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण उप–धारा (1) के अधीन किया गया हो, वहां की प्रबन्धन समिति या प्रबन्धक अधिग्रहण करने की तिथि के तीन माह के भीतर सचिव को अपील कर सकता है जो प्रबंधन समिति या प्रबन्धक द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने उपरान्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिसमें प्रबंधन की बहाली के लिए एक आदेश शामिल है या उस अवधि को कम करने के लिए जिसके दौरान ऐसे विद्यालय का प्रबंधन निदेशक में निहित रहेगा, जैसा वह उचित समझे।

(5) जहां इस धारा के तहत किसी विद्यालय के प्रबंधन का अधिग्रहण किया गया है, तब सरकार विद्यालय के भवन के ऐसे किराये, जो देय है, का भुगतान हकदार व्यक्ति को करेगी जैसा कि प्रबंधन समिति या प्रबन्धक द्वारा विद्यालय के अधिग्रहण करने से पहले भुगतान किया जा रहा था।

(6) ऐसी अवधि के दौरान जब कोई विद्यालय प्रशासक के प्रबंधन के अधीन रहता है–

(क) विद्यालय के उस कर्मचारी की, जो प्रबंधन का अधिग्रहण किए जाने की तिथि से ठीक पहले सेवा में थे, निदेशक द्वारा अनुमोदित सेवा शर्तों, में ऐसे परिवर्तन नहीं किए जाएगें, जो उनके लिए अलाभकारी हो।

(ख) सभी शैक्षणिक सुविधाएं, जो विद्यालय द्वारा इस प्रबंधन का अधिग्रहण करने से ठीक पहले प्रदान की जा रही थी, निरन्तर प्रदान की जाती रहेगी;

(ग) विद्यालय निधि, छात्र निधि, और कोई अन्य मौजूदा निधि विद्यालय के उद्देश्य के लिए खर्च किए जाने के लिए प्रशासक के पास उपलब्ध रहेगी; और

(घ) ऐसे विद्यालय की प्रबंधक समिति की किसी भी बैठक में पारित कोई भी प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

11. सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर धारा 10 की कोई भी बात लागू नहीं होगी।

16. (1) कोई भी सहायता प्राप्त विद्यालय निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट फीस के अलावा कोई शुल्क नहीं लगाएगा या कोई अन्य शुल्क वसूल नहीं करेगा या अन्य कोई भुगतान प्राप्त नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय, फीस की भिन्न भिन्न दरें या अन्य प्रभार या विभिन्न निधियों बारे, ऐसी फीस लगाने या ऐसे प्रभार वसूल करने या ऐसी निधियां सृजित करने से पूर्व निर्धारित प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा।

17. (1) प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय में विद्यालय निधि कहलाने वाली एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(क) सरकार द्वारा दी गई कोई सहायता;

(ख) फीस, शुल्क या अन्य भुगतानों के माध्यम से विद्यालय को प्राप्त होने वाली आय; और

(ग) कोई अन्य योगदान, सम्पति की बिक्री, सम्पति से किराया, बंदोबस्ती और इसी तरह।

(2) सरकार के अनुमोदन से स्थापित विद्यालय निधि तथा छात्र निधि सहित अन्य सभी निधियों का लेखा–जोखा और संचालन इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) प्रत्येक मान्यता प्राप्त गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय में, "मान्यता प्राप्त गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय निधि" नामक एक निधि होगी।

इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:–

(क) शुल्क;

(ख) कोई शुल्क और भुगतान जो स्कूल द्वारा अन्य निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त किया जा सकता है; और

(ग) कोई अन्य योगदान, बंदोबस्ती, उपहार और इसी तरह

(4)(क) गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा फीस के रूप में प्राप्त आय का उपयोग केवल ऐसे शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है; और

(ख) विद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क और भुगतान और अन्य सभी योगदान, बंदोबस्ती और उपहार का उपयोग केवल उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए उन्हें वसूल किया गया था या प्राप्त किया गया था। अनिर्दिष्ट उपहारों का उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।

(5) प्रत्येक मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की प्रबंधक समिति प्रत्येक वर्ष निदेशक के पास विधिवत लेखा परीक्षित वित्तीय और अन्य विवरणियाँ दाखिल करेगी जो निर्धारित की जा सकती हैं और प्रत्येक ऐसी विवरणी का परीक्षण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

18. (1) किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के प्रयोजन के लिए, कोई भी सहायता प्राप्त माध्यमिक, उच्च या वरिष्ठ माध्यमेक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा से संबद्ध होगा।

21. (4)(क) सहायता बन्द करना (सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में);

24. (ट) वे शर्तें जिनके अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सहायता दी जा सकती है और जिनके उल्लंघन पर सहायता बन्द, कम या निलंबित की जा सकती है;

(ठ) फीस और अन्य शुल्क जो एक सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा एकत्र किया जा सकता है;

10273—H.V.S.—H.G.P.,Pkl.